



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.01.2024	<p style="text-align: center;"><u>वाद सं०-69/2023</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्रीमती पारो देवी एवं अन्य, ग्राम-ओपाग, पंचायत-चुगरू, प्रखण्ड-बरवाडीह, जिला-लातेहार अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।</p> <p>दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन कर प्रमाण पेश करें।</p> <p>मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-30.01.2024 को रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div data-bbox="323 906 616 1128" style="text-align: center;"><p>(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div data-bbox="831 906 1170 1139" style="text-align: center;"><p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div>	